# FIRST INFORMATION REPORT
## Under Section 173 B.N.S.S.

## (प्रथम सूचना रिपोर्ट )
## अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0017 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 15/01/2026 14:15 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |
| 2 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 13(1)(b) |
| 3 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 13(2) |
| 4 | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 61(2) |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** सोमवार **Date From (दिनांक से):** 20/01/2025 **Date To (दिनांक तक):** 20/01/2025

**Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 11:30 बजे **Time To (समय तक):** 17:50 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 15/01/2026 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 15/01/2026 14:15:17 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 90 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** TRISHINGIYA PS KUCHAMAN CITY, JILA DEEDWANA-KUCHAMAN

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

**Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** NARENDRA SINGH RATHORE

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 13/02/1975 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | MAYAPUR, PARBATSAR, Kotwali Nagaur, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | MAYAPUR, PARBATSAR, Kotwali Nagaur, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SURENDRA KUMAR | | पिता:RAJENDRA SINGH | 1. DHIKATANA DAKGHAR BUGANA,बरवाला,हिसार,हरियाणा, INDIA |
| 2 | VIRENDRA KUMAR | | पिता:RAMCHANDRA | 1. AMPEEROHI,POST MOHAMMADPUR ROHI,सदर फतेहाबाद,फ़तेहाबाद,हरियाणा,INDIA |
| 3 | JAGJEET SINGH | | पिता:MAHAVEER SINGH | 1. JANDALI KALN,भूना,फ़तेहाबाद, हरियाणा,INDIA |
| 4 | DHARMVEER | | पिता:GANGARAM JAT | 1. 63,WARD NO 02,SHASTRI COLONY,RAYSINGH NAGAR,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**
   **(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
   **(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 6,00,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
    **(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 6,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
    **(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

निवेदन है कि दिनांक 20.12.2025 को ब्यूरो में सूत्र सूचना प्राप्त हुई है कि हरियाणा पुलिस का स्टॉफ, स्टाफ वाहन संख्या एचआर 24 जीवी 2222 से हरियाणा मे दर्ज साईबर क्राईम के मुकदमें के अनुसंधान एंव मुल्जिमो की तलाश हेतु भीलवाडा/ उदयपुर/ राजसमन्द है एंव संदिग्ध लोगो , उनके परिजनो व मित्रां के मार्फत डरा धमका कर अवैध रूप से रिश्वत राशि प्राप्त की गई है। इन पुलिस अधिकारियों द्वारा भिन्न-भिन्न लोगो से रिश्वत राशि प्राप्त की है जो करीब 5-7 लाख रूपये है एंव दो लोगो को अपने साथ लेकर भीलवाडा से हरियाणा के लिये निकले है एंव वाया जयपुर/कुचामन होकर हरियाणा जायेंगें। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी अजमेर के निर्देशानुसार मन् निरीक्षक पुलिस नरेन्द्र सिंह राठौड मन् निरीक्षक पुलिस, श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 62, श्री चतर सिंह कानि नम्बर 17 मय सरकारी वाहन मय चालक श्री मुन्नाराम मय मोबाईल फोन जिसमें नया मैमोरी कार्ड डाला जाकर हमराह लिया गया एंव मय लैपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक अनुसंधान सामग्री के एसीबी चौकी अजमेर से रवाना हुये। श्री अर्जुन कानि नम्बर 244 एसीबी स्पशेल यूनिट अजमेर मय गवाह श्री बलराज नालिया सूचना सहायक क्षैत्रीय परिवहन कार्यालय अजमेर श्री प्रदीप परिहार सूचना सहायक क्षैत्रीय परिवहन कार्यालय अजमेर के सरकारी वाहन से रवाना होकर पुलिस थाना कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन क्षैत्र त्रिशिगिया पहुंचा जंहा पर उक्त वाहन संख्या एचआर 24 जीवी 2222 महेन्द्रा बोलेरो नियो को पुलिस थाना कुचामन के पुलिस स्टॉफ द्वारा रूकवा रखा था। अंधेरा होने से उक्त वाहन को साईड में उजाले में ले जाकर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उपरोक्त हमराहीयान के समक्ष वाहन में मौजूद लोगो से नाम पूछा तो आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना सुरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक पुलिस थाना साईबर क्राईम सिरसा हरियाणा होना बताया। बीच की सीटो पर बैठे व्यक्यितों ने अपना नाम विरेन्द्र कुमार हैड कानि, श्री जगजीत सिंह कानिस्टेबल एंव श्री धर्मवीर चालक एमटी पुलिस लाईन सिरसा होना बताया। पीछे की सीट पर बैठे व्यक्तियों ने अपना नाम सागर सिंह एंव विनोद होना अवगत करवाया गया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आगे की सीट पर बैठे श्री सुरेन्द्र कुमार से वाहन में नकद राशि होने के सम्बन्ध में पूछने पर गाडी में रूपये होना बताया एंव खर्चे के लिये साथ में लाना बताया। जिस पर उक्त बोलेरो वाहन को गवाहों से चैक करवाया गया तो पीछे की सीट में एक काले रंग के बैग जिस पर अंग्रेजी में वाईल्ड क्राफ्ट लिखा हुआ मिला जिसके अन्दर 500-500 रूपये की गड्डिया मिली एंव एक गड्डी में 100-100 रूपये के नोट मिले। श्री सुरेन्द्र द्वारा बैग में 6,00,000 रूपये होना बताया। गड्डियो को गिना गया तो 500-500 रूपये के 11 गड्डिया व एक खुली गड्डी में 500-500 के 93 नोट व 100-100 के 35 नोट मिले। उसके अलावा वाहन को सरसरी चैक किया गया तो वाहन में उपरोक्त नकद राशि के अलावा कोई नकद राशि नही मिली। श्री सुरेन्द्र कुमार से पुनः उक्त नकद राशि के रूपये के बारे में पूछा तो खर्चे के रूपये होना बताते हुये साथ ही लाना बताया। नकद राशि को बैग सहित गवाह श्री बलराज के सुरक्षित रखवाया गया। मौके पर राजमार्ग पर वाहनो का आवागमन होनें एंव आगामी कार्यवाही हेतु किसी प्रकार की व्यवस्था नही होने से आगामी कार्यवाही पुलिस चौकी मण्डावरा पुलिस थाना कुचामन सिटी में किये जाने का निर्णय लिया जाकर उपरोक्त सभी हमराहीयान एंव उपरोक्तगणो को साथ लेकर पुलिस चौकी मण्डावरा के लिये रवाना होकर पुलिस चौकी मण्डावरा पहुंचा एंव उक्त वाहन को एक बार रूबरू गवाहान पुनः चैक किया गया तो और कोई नकद राशि नही मिली। वाहन में मिले बैग जो कि हरियाणा पुलिस के उपरोक्त कार्मिको एंव दो प्राईवेट व्यक्तियों से सम्बन्धित है को भी हमराह लेकर पुलिस चौकी मण्डावरा के अन्दर पहुंचे। पुलिस के हमराह श्री फजल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कुचामन सिटी द्वारा चौकी परिसर में ही बैठने की व्यवस्था करवाई जाकर आगामी कार्यवाही आरम्भ करते हुये उपरोक्त से

पूरा नाम पता पूछा तो अपना नाम क्रमशः (1)श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह उम्र 42 साल जाति अहीर निवासी गांव दींगथाणा पुलिस थाना बरवाला जिला हिसार हाल उप निरीक्षक साईबर क्राईम थाना सिरसा हरियाणा (2) श्री विरेद्र कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र उम्र 40 साल जाति बिश्नोई निवासी गांव एम्पीरोही पुलिस थाना फतेहाबाद जिला फतेहबाद हरियाणा हाल हैड कानिस्टेबल नम्बर 04 पुलिस थाना साईबर क्राईम सिरसा हरियाणा (3) श्री जगजीत सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह उम्र 30 साल जाति खाती निवासी गांव जान्डली कंला पुलिस थाना भुना जिला फतेहाबाद हाल कानिस्टेबल नम्बर 1471 पुलिस थाना साईबर क्राईम सिरसा हरियाणा (4) श्री धर्मवीर पुत्र श्री गंगाराम जाट उम्र 41 साल जाति जाट निवासी गांव लखा हाकम तहसील रायसिंह नगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान हाल कानि चालक नम्बर 517 एमटी शाखा पुलिस लाईन सिरसा हरियाणा होना बताया। इसी प्रकार प्राईवेट व्यक्ति ने अपना नाम श्री सागर सिंह पुत्र श्री पवन सिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 25 साल निवासी गांव खेमपुर पुलिस थाना फतेहनगर तहसील मावली जिला उदयपुर एंव श्री विनोद कीर पुत्र श्री सुरेश चन्द्र कीर उम्र 25 साल जाति कीर निवासी सरदार गढ रोड तहसील आमेट पुलिस थाना आमेट जिला राजसमन्द होना बताया।श्री सुरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक ने बताया कि पुलिस थाना साईबर क्राईम की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 86/2025 दिनांक 08.12.2025 का मै अनुसंधान अधिकारी हूं। यह प्रकरण ऑन लाईन ठगी से सम्बन्धित होकर करीब साढे नो लाख रूपये का ऑन लाईन फ्रोड है। दौराने अनुसंधान श्री सागर सिंह निवासी गांव खेमपुर तहसील मावली जिला उदयपुर की संलिप्तता पाये जाने पर उक्त की तलाश हेतु सिरसा से श्री विरेन्द्र सिंह हैड कानि, साईबर क्राईम, श्री जगजीत सिंह कानिस्टेबल साईबर क्राईम सिरसा के साथ पुलिस लाईन के वाहन व चालक श्री धर्मवीर सिंह के साथ में सिरसा से रवाना होकर उदयपुर आये। हमारे प्रकरण के आरोपी सागर सिंह की लोकेशन कांकरोली आयी एंव कांकरोली आकर सागर सिंह को पकडा एंव उसके साथ ही विनोद कीर को भी पकडा ये दोनो साथ मिलकर गेमिंग मे लोगो के ऑन लाईन पैसे लगाते थे। इनको गिरफ्तार करके पुलिस थाना कांकरोली पर सूचना देकर वंहा से हरियाणा के लिये रवाना हो गये। उपरोक्त 6 लाख रूपये की राशि के बारे मे पुनः पूछने पर बताया कि यह रूपये श्री सुभाष चन्द्र प्रबन्धक थाना साईबर क्राईम सिरसा हरियाणा द्वारा खर्चे पानी के लिये मुझे दिये थे। इन रूपयो की कंही पर भी लिखा पढी नही है और ना ही हमारे थाने के रोजनामचे में इसका इन्द्राज है। केस बुक मे भी इन्द्राज नही है। उन्होने जो 6 लाख रूपये दिये थे उसमें से अभी तक हमने कुछ भी खर्च नही किया है। मेरे पास मेरे स्वंय के खर्चे पानी के रूपये भी थे उसमें से ही मै रूपये खर्च कर रहा था। साईबर क्राईम में दर्ज प्रकरण संख्या 86/2025 की पत्रावली पेश करने की कहने पर श्री सुरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक द्वारा एक बैंग में से खुली अवस्था में कुछ दस्तावेज पेश किये जो प्रकरण संख्या 86/25 दिनांक 08.12.2025 धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता पुलिस थाना साईबर क्राईम सिरसा से सम्बन्धित है जिसमें प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट एंव अन्य दस्तावेज है साथ ही श्री सागर सिंह एंव विनोद की गिरफ्तारी आदि से सम्बन्धित दस्तावेज है। श्री सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि सागर सिंह से 5000 रूपये बरामद हुये जिनकी जब्ती पृथक से तैयार की गई है।प्रकरण संख्या 86/2025 पुलिस थाना साईबर क्राईम सिरसा से सम्बन्धित दस्तावेजात की छायाप्रति करवाई जाकर मूल दस्तावेज श्री सुरेन्द्र कुमार को पुनः लौटाये गये एंव छायाप्रतिंयो पर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया।श्री विरेन्द्र कुमार ने बताया कि मै साईबर क्राईम सिरसा में करीब तीन वर्षो से पदस्थापित हूं। प्रकरण संख्या 86/2025 का अनुसंधान श्री सुरेन्द्र कुमार पुलिस उप निरीक्षक द्वारा किया जा रहा है। मुल्जिम तलाश में इनकी मदद हेतु मै व श्री जगजीत सिंह आये एंव साथ ही पुलिस लाईन का वाहन मय चालक श्री धर्मवीर के सिरसा से दिनांक 18.12.2025 को रवाना होकर उदयपुर पहुंचे। दिनांक 20.12.2025 को सागर सिंह एंव विनोद कीर को कांकारोली से गिरफ्तार किया। हमारे गाडी में कितने रूपये थे ये सुरेन्द्र कुमार जी को ही पता है मुझे इसके बारे मे जानकारी नही है कि हमारी गाडी में 6 लाख रूपये थे। यह पैसे कैसे आये मुझे जानकारी में नही है।श्री जगजीत सिंह कानिस्टेबल ने बताया कि मै साईबर क्राईम सिरसा में करीब डेढ वर्ष से पदस्थापित हूं। प्रकरण संख्या 86/2025 के अनुसंधान हेतु मै श्री सुरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक के साथ में आया हमारे साथ में श्री विरेन्द्र कुमार हैड कानिस्टेबल एंव पुलिस लाईन सिरसा से चालक श्री धर्मवीर भी आये थे। मुझे इस बात की जानकारी नही थी कि हमारी गाडी मे इतनी बडी मात्रा में नकद राशि है। इसकी मुझे जानकारी नही है। हम इन्चार्ज के साथ जाते है तो रास्ते का खर्चा इन्चार्ज ही करता है परन्तु 6 लाख रूपये हमारी गाडी मे थे इस बात की मुझे जानकारी नही है। जब हम सिरसा से रवाना हुये तब हमारी गाडी मे कोई रूपये हो इसकी मुझे जानकारी नही है।श्री धर्मवीर कानि0 चालक ने बताया कि हम साईबर क्राईम थाना सिरसा हरियाणा से दिनांक 18.10.2025 को सुबह 11 बजे रवाना होकर पाली में सोजत नाईट स्टे किया। फिर दिनांक 19.12.2025 की सुबह करीब 9 बजे सोजत से रवाना होकर उदयपुर पहुंचे। रात मो उदयपुर ही रूके। दिनांक 20.12.2025 को सुबह 7 बजे उदयपुर से पुलिस थाना कांकरोली जिला राजसमन्द गये वंहा पर थाने में आमद करवाकर उपरोक्त श्री सागर सिंह व विनोद कीर को गिरफ्तार किया गया। मै गाडी के आसपास ही था। हमारे इन्चार्ज इस दौरान किससे मिले इसकी मुझे जानकारी नही है। पूरा मामला क्या है इसकी भी मुझे जानकारी नही है। इनसे कांकारोली व उदयपुर में कोई प्राईवेट व्यक्ति मिले थे वो अलग जाकर ही मिले थे मेरे सामने कोई बात नही हुई थी। हमारी गाडी मे 6 लाख रूपये मिले है इसके बारे में मुझे कुछ पता नही है। इन्चार्ज सुरेन्द्र जी ही बता सकते है कि इतनी नकद राशि गाडी मे कैसे आयी।श्री सागर सिंह ने बताया कि मै किसी काम से कांकरोली गया हुआ था मेरे साथ विनोद कीर भी साथ ही था। मेरे

. बैंक खाते में 25000 रूपये आये थे जो मैने ऑन लाईन ही ट्रांसफर किये थे। एक दो दिन बाद मेरा बैंक खाता सीज कर दिया था। दिनांक 20.12.2025 को करीब 11.30 बजे कांकरोली में जेके सर्किल पर हरियाणा पुलिस की टीम द्वारा मुझे व विनोद को पकडा था हमें साईबर क्राईम के केस में गिरफ्तार किया और हमें कांकरोली पुलिस थाने पर गये थे तथा वंहा से रवाना होकर हम इन्ही के वाहन से वंहा से रवाना हो गये। बीच में ये लोग दो तीन जगह रूके भी थे तथा कुछ लोगो से मिले भी थी। गाडी मे रखे हुये काले बैग में जो रूपये मिले है इसके बारे मे मेरा कहना है कि यह बैग जंहा से हमें पकडा था वंही से मिला था उस समय यह खाली था तथा आगे की तरफ रखा हुआ था बाद में भीलवाडा से आगे निकलने पर यह बैग इन्होने पीछे रख दिया था।श्री विनोद कीर ने बताया कि मै चार दिन से सागर के साथ ही हूं मै इसके साथ ही काम करता हूं। आज सुबह सागर व मुझे कांकरोली से इन लोगो ने पकडा तथा वंहा से गिरफ्तार करके आ गये। बीच में हम लोग लोग दो तीन जगह रूके भी थे तथा कुछ लोगो से मिले भी थी। गाडी मे रखे हुये काले बैग में जो रूपये मिले है इसके बारे मे मेरा कहना है कि यह बैग जंहा से हमें पकडा था वंही से मिला था उस समय यह खाली था तथा आगे की तरफ रखा हुआ था बाद में भीलवाडा से आगे निकलने पर यह बैग इन्होने पीछे रख दिया था।वाहन संख्या एचआर 24 जीवी 2222 की तलाशी में पीछे की सीट में रखे बैग मे रखे हुये 6 लाख रूपये के सम्बन्ध मे सन्तोषजनक प्रतिउत्तर प्राप्त नही होने से उक्त बैग व 6 लाख रूपये जब्त किये गये। नकद राशि 6 लाख रूपये मय बैग व प्रकरण संख्या 86/25 पुलिस थाना साईबर क्राईम सिरसा हरियाणा की दस्तावेजात की छायाप्रति पृथक से प्राप्त की गई मूल दस्तावेज पुनः श्री सुरेन्द्र कुमार को लौटाये गये। समस्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की गई। उपरोक्त सभी को रूख्सत किया गया। कार्यवाही की विडियोग्राफी करवाई गई।आकस्मिक चैकिंग व जांच से पाया गया कि पुलिस थाना साईबर क्राईम सिरसा हरियाणा में दर्ज प्रकरण संख्या 86/2025 दिनांक 08.12.2025 धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता का अनुसंधान श्री सुरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक द्वारा किया जाकर दिनांक 18.12.2025 को वास्ते अनुसंधान राजस्थान आना एंव दिनांक 20.12.2025 को उक्त प्रकरण में श्री सागर सिंह एंव श्री विनोद कीर को गिरफ्तार करना तथा श्री शिवलाल गाडरी पुत्र श्री मोतीलाल उम्र 28 साल जाति गाडरी निवासी देवपुरिया पीपरडा, पुलिस थाना राजनगर, जिला राजसमन्द को अवैध रूप से अपने पास रखकर उसके परिजनो से रिश्वत राशि प्राप्त कर वाहन संख्या एच.आर. 24 जीवी 2222 से परिवहन कर रहे थे, जिनकी आकस्मिक चैकिंग किये जाने पर 6,00,000 रूपये की राशि बरामद होना पाया गया है। इस प्रकार उपरोक्त आरोपियान द्वारा आपराधिक षडयन्त्र कर अवैध वसूली की जाकर स्वंय को इरादतन सम्पन्न करना पाया गया है, जो आरोपियान का उक्त कृत्य धारा 7,13(1)बी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) व 61 (2) भारतीय न्याय संहित 2023 का अपराध कारित किया जाना पाया गया है।अतः आरोपित (1)श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह उम्र 42 साल जाति अहीर निवासी गांव धिकताना डाकघर बुगाना पुलिस थाना बरवाला जिला हिसार हरियाणा हाल उप निरीक्षक साईबर क्राईम थाना सिरसा, हरियाणा (2) श्री विरेद्र कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र उम्र 40 साल जाति बिश्नोई निवासी एम्पीरोही गांव व डाकघर मोहम्मदपुर रोही पुलिस थाना सदर फतेहाबाद जिला फतेहबाद हरियाणा हाल प्रधान सिपाही बैल्ट नम्बर 04 पुलिस थाना साईबर क्राईम सिरसा, हरियाणा (3) श्री जगजीत सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह उम्र 30 साल जाति खाती निवासी गांव जान्डली कंला पुलिस थाना भुना जिला फतेहाबाद हाल कानिस्टेबल नम्बर 1471 पुलिस थाना साईबर क्राईम सिरसा हरियाणा (4) श्री धर्मवीर पुत्र श्री गंगाराम जाट उम्र 42 साल जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 02 मकान नम्बर 63 शास्त्री कॉलोनी, तहसील रायसिंह नगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान हाल कानि चालक नम्बर 517 एमटी शाखा पुलिस लाईन सिरसा हरियाणा के विरूद्ध धारा 7,13(1)बी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2) भारतीय न्याय संहित 2023 का कारित किया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।(नरेन्द्र सिंह राठौड)निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेन्द्र सिंह राठौड, निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 13(1)बी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2) भारतीय न्याय संहित 2023 में आरोपीगण (1) श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह उम्र 42 साल जाति अहीर निवासी गांव धिकताना डाकघर बुगाना पुलिस थाना बरवाला जिला हिसार हरियाणा हाल उप निरीक्षक साईबर क्राईम थाना सिरसा, हरियाणा (2) श्री विरेद्र कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र उम्र 40 साल जाति बिश्नोई निवासी एम्पीरोही गांव व डाकघर मोहम्मदपुर रोही पुलिस थाना सदर फतेहाबाद जिला फतेहबाद हरियाणा हाल प्रधान सिपाही बैल्ट नम्बर 04 पुलिस थाना साईबर क्राईम सिरसा, हरियाणा (3) श्री जगजीत सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह उम्र 30 साल जाति खाती निवासी गांव जान्डली कंला पुलिस थाना भुना जिला फतेहाबाद हाल कानिस्टेबल नम्बर 1471 पुलिस थाना साईबर क्राईम सिरसा हरियाणा (4) श्री धर्मवीर पुत्र श्री गंगाराम जाट उम्र 42 साल जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 02 मकान नम्बर 63 शास्त्री कॉलोनी, तहसील रायसिंह नगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान हाल कानि चालक नम्बर 517 एमटी शाखा पुलिस लाईन सिरसा हरियाणा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री हिम्मत सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमंद को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम

248 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 94-97 दिनांक 15.01.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2-पुलिस अधीक्षक, सिरसा, लघु सचिवालय, प्रथम तल, बरनाला रोड सिरसा,हरियाणा 3- पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** HIMMAT CHARAN **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 1 /2026 2

**Name(नाम):** Pushpendra Singh Rathore
**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)
**No(सं.):**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 1984 | | | | |
| 2 | Male | 1986 | | | | |
| 3 | Male | 1996 | | | | |
| 4 | Male | 1984 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गुदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है I)